# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3952–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–08–2012 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील व जिला ग्वालियर, प्रकरण कमांक 11/अ–12/2011–12

1–रामस्वरूप गुलाटी पुत्र श्री खैरातीलाल गुलाटी (फौत वारिसान :–)

अ–श्रीमती विमल गुलाटी पत्नी स्व0रामस्वरूप गुलाटी

ब–संतकुमार गुलाटी पुत्र स्व0श्री रामस्वरूप गुलाटी

स–श्रीमती सरिता पुत्री स्व0 श्री रामस्वरूप गुलाटी

2–केशव प्रसाद शिवहरे पुत्र श्री भगवती प्रसाद शिवहरे

3–रमेशचन्द्र पुत्र श्री कुन्दनलाल

निवासीगण मोतीमहल रोड ग्वालियर

.....आवेदकगण

**विरूद्ध**

1–अशोक जैन पुत्र श्री सगुनचन्द्र जैन

निवासी 59 सत्यनारायण संतर मुरार ग्वालियर

2–कु0कोकीला जैन पुत्र श्री अशोक जैन

3–कु.सपनिल जैन पुत्री अशोक जैन

दोनों नाबालिग पुत्रियों के सरपरस्त पिता स्वयं अशोक जैन

निवासीगण 59 सत्यनारायण संतर मुरार ग्वालियर

4–राघवेन्द्र सिंह तोमर पुत्र श्री कप्तानसिंह तोमर

निवासी न्यू विवेकनगर मेलाग्राउण्ड के पीछे गोला का मंदिर

ग्वालियर

5–चन्द्रप्रकाश शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मणप्रसाद शर्मा

निवासी नर्मदाकॉलोनी बैजल कोठी मुरार ग्वालियर

6–राजीव पुत्र श्री के0डी0त्रिपाठी

निवासी लोचन नगर मुरार ग्वालियर

.....अनावेदकगण

7–डा0आर0जी0बाला पुत्र श्री गणपत वाला
निवासी शशि कॉलोनी मोतीमहल रोड ग्वालियर
8–जी0डी0जैन पुत्र श्री नामालूम
निवासी शशि कॉलोनी मोतीमहल रोड ग्वालियर
9–राकेश तोमर पुत्र श्री नामालूम
निवासी शशि कॉलोनी मोतीमहल रोड ग्वालियर
10–श्यामसुंदर गुलाटी पुत्र श्री खैरातीलाल गुलाटी.
निवासी शशि कॉलोनी मोतीमहल रोड ग्वालियर
11–अजय अग्रवाल पुत्र नामालूम
निवासी शशि कॉलोनी मोतीमहल रोड ग्वालियर
12–निर्मलकुमार जैन पुत्र श्री नामालूम
निवासी शशि कॉलोनी मोतीमहल रोड ग्वालियर
13–रमेश चन्द्र जैन पुत्र श्री नामालूम
निवासी शशि कॉलोनी मोतीमहल रोड ग्वालियर

.....फॉरमल अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री सी0एम0गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 व 2
श्री पी0एन0शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 10 लगायत 13
श्री अनिलकुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 14

## :: आ दे श ::

**(आज दिनांक 9/8/16 को पारित)**

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील व जिला ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–08–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम महलगॉव स्थित भूमि सर्वे कमांक 394 रकबा 0.209 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 11/अ–12/2011–12 दर्ज कर राजस्व निरीक्षक को सीमांकन किये जाने के निर्देश दिये

गये । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाकर रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई । रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार के समक्ष आपत्तिकर्तागण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई कि प्रश्नाधीन भूमि के आस–पास काफी घनी बस्ती है और मकानात बने हुये है, इसलिये सीमांकन नहीं हो सकता है और पड़ोसी कृषकों को कोई सूचना नहीं दी गई है । तहसीलदार द्वारा दिनांक 24–8–12 को अंतरिम आदेश पारित कर यह पाते हुये कि आपत्तियों का निराकरण राजस्व निरीक्षक की साक्ष्य एवं परीक्षण के उपरांत किया जाना उचित होगा, प्रकरण राजस्व निरीक्षक के साक्ष्य के लिये नियत किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार को सर्वप्रथम प्रारंभिक आपत्ति का निराकरण करना चाहिये, तत्पश्चात् आदेश पारित करना चाहिये था । यह भी कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन होने के बावजूद भी तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि रेलवे की पटरी का स्क्रेप बेचने की अनुमति चाही गई थी, परन्तु तहसीलदार द्वारा नामान्तरण ही कर दिया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि कलेक्टर द्वारा शासकीय घोषित की जा चुकी है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण कमांक 28/अ–46/1993–94 से प्रश्नाधीन भूमि के वे भूमिस्वामी बने है । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा भूमि कय की गई है और उनका नामान्तरण हो गया है और सिंधियाजी के वारिसानों द्वारा उक्त नामान्तरण आदेश को कभी चुनौती नहीं दी गई है यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण न तो प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी है और न ही कब्जाधारी हैं, इसलिये वे प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं हैं । यह भी कहा गया कि दिनांक 27–8–2012 को कोई भी आदेश पारित नहीं हुआ है, आदेश दिनांक 24–8–2012 को पारित हुआ है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अभी कार्यवाही की जाकर अंतिम आदेश पारित किया जाना है जहॉ आवेदकगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है ।

5/ अनावेदक कमांक 10 लगायत 13 के विद्वान अभिभाषक द्वारा आवेदकगण के तर्को को समर्थन दिया गया है ।

प्रतिउत्तर में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि सीमांकन आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है, अतः आदेश दिनांक में त्रुटि होना महत्वहीन है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन की कार्यवाही की जा रही है, जबकि उक्त सर्वे नम्बर के संबंध में कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 08/बी–121/2013–14 में दिनांक 30–9–14 को आदेश पारित कर तहसीलदार को कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं, परन्तु तहसीलदार द्वारा कलेक्टर के आदेश के पालन में कार्यवाही नहीं की जाकर सीमांकन कार्यवाही की जा रही है, जो कि वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं ठहराई जा सकती है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तहसीलदार द्वारा की जा रही सीमांकन की कार्यवाही निरस्त की जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–2014 के प्रकाश में कार्यवाही करें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील व जिला ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–08–2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर